

मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 1-75/2008/20-1/

भोपाल, दिनांक 2-8-2008

प्रति,

- 1-समस्त जिला कलेक्टर,
- 2-समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला/जनपद पंचायत
- 3-समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त/
आदिवासी विकास/ जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग
म0प्र0

विषय:- अध्यापक संवर्ग के लिये स्वैच्छिक आधार पर जिला एवं जनपद पंचायत के अंतर्गत स्थानांतरण की नीति ।

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.6.2008 द्वारा अध्यापक संवर्ग के लिये स्वैच्छिक आधार पर जिला एवं जनपद पंचायत के अंतर्गत स्थानांतरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ।

राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि अध्यापक संवर्ग के लिये स्वैच्छिक आधार पर जिला/जनपद पंचायत के अंतर्गत स्थानांतरण की नीति के तहत मात्र सहायक अध्यापक के लिये स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि 8.8.2008 एवं आदेश जारी करने की तिथि दिनांक 14 अगस्त 2008 तक बढ़ाई जाती है ।

अतः रिक्त पदों पर स्वैच्छिक स्थानांतरण की कार्यवाही उपरोक्तानुसार संपन्न की जाए । इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देश यथावत रहेंगे ।

(मनोज झालानी)
सचिव,


म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पू.क. एफ 1-75/2008/20-1/

भोपाल, दिनांक २-८-२००८

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, मंत्री जी / राज्य मंत्रीजी म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ।
- 2- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल ।
- 4- आयुक्त, लोक शिक्षण/आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र / आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग भोपाल ।
- 5- आयुक्त, जनसंपर्क विभाग म.प्र. भोपाल ।
- 6- समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



सचिव,

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग